संख्या–251 / 2026 / आई0 / 1496026 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2026**

विषयः– प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–220 / 2026 / आई0 / 1456607 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 09–9–2026 तथा संख्या–227 / 2026 / आई0 / 1469413 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 18–09–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत / सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल, समयबद्व, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उददेश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए **दिनांक 01–10–2026** के उपरान्त समस्त दावे विकसित चिकित्सा पोर्टल पर ही आवेदित किये जाने तथा कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– उक्त के क्रम में यह असंमजस की स्थिति है कि विभिन्न विभागों के स्तर पर दिनांक 30–09–2026 तक भौतिक रूप से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को तकनीकी परीक्षण हेतु तकनीकी परीक्षण अधिकारी को किस मोड में संदर्भित किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों में दिनांक 30–09–2026 तक भौतिक रूप से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भौतिक रूप से ही पूर्व की भांति तकनीकी परीक्षण हेतु संदर्भित किया जाए तथा तकनीकी परीक्षणकर्ता द्वारा भी उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण भौतिक रूप से करते हुए सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाए। तदोपरान्त विभाग द्वारा पूर्व की भांति प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त समस्त कार्यवाही **दिनांक 31–10–2026** तक पूर्ण कर ली जाए।

भवदीया
रितु माहेश्वरी
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल / विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रितु माहेश्वरी
सचिव।